भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - *57

दिनांक 04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

पशु आश्रय गृहों की स्थिति

***57. श्रीमती सागरिका घोषः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) से अनुदान प्राप्त करने वाले आश्रय गृहों की वर्तमान संख्या और क्षमता कितनी-कितनी है तथा ये कहाँ-कहाँ स्थित हैं;

(ख) मांगी गई या बजट अथवा वास्तव में संवितरित की गई निधियों का प्रतिशत कितना कितना है;

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एडब्ल्यूबीआई द्वारा वितरित किए गए अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वित्तीय वर्षों में कोई भी अनुदान प्राप्त न करने वाले राज्यों की सूची क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के संचालन के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने वाली समितियों और स्थानीय निकायों को राज्य-वार कितनी निधियाँ वितरित की गई हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पशु आश्रय गृहों की स्थिति संबंधी दिनांक 04.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 57 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों/गौशालाओं को आश्रय गृह योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो बेसहारा/घायल/बीमार पशुओं को आश्रय देते हैं। अनुदान प्राप्त करने वाले पशु आश्रय गृहों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	आश्रय गृहों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले पशु कल्याण संगठनों की संख्या				
		वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	गुजरात		1			
2	हरियाणा	3	3	3	1	1
3	महाराष्ट्र	1				
4	मध्य प्रदेश	4	5	1		1
5	पंजाब		1		1	
6	राजस्थान	4	4	2	1	1
7	उत्तर प्रदेश	3	2	1	1	
	कुल = 45	**15**	**16**	**7**	**4**	**3**

(ख) भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने पाँच ऐसी योजनाएँ क्रियान्वित की हैं जिनके लिए केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संवितरित, जारी की गई निधि और उसके प्रतिशत का योजनावार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22		
योजनाओं के नाम	आवंटितनिधि	संवितरित निधि	प्रतिशत	आवंटितनिधि	संवितरित निधि	प्रतिशत
नियमित अनुदान	1,30,00,000	1,30,00,000	100%	1,99,00,000	1,99,00,000	100%
पशु जन्म नियंत्रण	4,03,981	2,12,265	53%	-	-	0
एम्बुलेंस	50,00,000	49,41,800	98%	50,00,000	48,56,650	96%
प्राकृतिक आपदा	2,00,000	2,00,000	100%	-	-	0
आश्रय अनुदान	1,50,00,000	1,50,00,000	100%	1,50,00,000	1,50,00,000	100%

वित्तीय वर्ष	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
योजनाएँ	आवंटित निधि	संवितरित निधि	प्रतिशत	आवंटित निधि	संवितरित निधि	प्रतिशत	आवंटित निधि	संवितरित निधि	प्रतिशत
नियमित अनुदान	4,45,00,000	4,45,00,000	100%	4,50,00,000	4,08,20,675	91%	61,02,355	39,98,350	64%
पशु जन्म नियंत्रण	-	-	0	-	-	0	-	-	0

एम्बुलेंस	50,00,000	48,65,594	96%	-	-	0	36,00,000	-	0
प्राकृतिक आपदा	5,00,000	5,00,000	100%	-	-	0	-	-	0
आश्रय अनुदान	75,00,000	70,03,535	93%	73,24,826	42,22,048	58%	84,01,271	30,24,826	36%

(ग) और (घ) एडब्ल्यूबीआई मान्यता प्राप्त संगठनों की मांग के आधार पर निधि जारी करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एडब्ल्यूबीआई द्वारा राज्यवार संवितरित अनुदान और जिन राज्यों को निधि प्राप्त नहीं हुई है, उनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य**	**आश्रय गृह अनुदान**		**एम्बुलेंस अनुदान**		**प्राकृतिक आपदा अनुदान**		**नियमित अनुदान और गोपशु बचाव अनुदान**	
		एडब्ल्यूओ की संख्या	**कुल अनुदान**	**एडब्ल्यूओ की संख्या**	**कुल अनुदान**	**एडब्ल्यूओ की संख्या**	**कुल अनुदान**	**एडब्ल्यूओ की संख्या**	**कुल अनुदान**
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5	478800
2	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
6	छतीसगढ़	0	0	0	0	0	0	3	188000
7	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	2	651800
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	1	1125000	0	0	0	0	14	2809450
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	11	10411095	10	4492150	1	500000	154	26947050
13	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	12000
15	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0
16	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
17	महाराष्ट्र	1	1068750	0	0	0	0	18	2212625
18	मध्य प्रदेश	11	10722926	3	1302394	0	0	91	10130750
19	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0

22	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ओडिशा	0	0	0	0	2	150000	0	0
24	पंजाब	2	2230711	0	0	0	0	1	150000
25	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राजस्थान	12	10974196	11	4879000	1	50000	395	39831075
27	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
28	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	3	75700
29	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0
30	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
31	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	4	1245000
32	उत्तर प्रदेश	7	7717731	8	3540500	0	0	325	37154475
33	पश्चिम बंगाल	0	0	0	450000	0	0	6	332300
		45	**44250409**	**32**	**14664044**	**4**	**700000**	**1022**	**122219025**

(ङ) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय निकायों का दायित्व है। राज्य सरकारें पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए निधि उपलब्ध करा रही हैं। AWBI ने पिछले तीन वर्षों में कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की है। हालांकि, AWBI ने वर्ष 2004-05 से वर्ष 2019-20 के दौरान एसपीसीए और स्थानीय निकायों को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर 50% सहायता राशि जारी की है। विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**एसपीसीए (SPCA) को जारी किया गया अनुदान**	**स्थानीय निकायों को जारी किया गया अनुदान**	**कुल जारी अनुदान**
1.	आंध्र प्रदेश	7707500	2005615	9713115
2.	दिल्ली	6536135	21736550	28272685
3.	गुजरात	3790090	445000	4235090
4.	गोवा	1356450	0	1356450
5.	हिमाचल प्रदेश	61750	393096	454846
6.	हरियाणा	0	1112500	1112500
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0	217160	217160
8.	केरल	2837000	0	2837000
9.	महाराष्ट्र	822950	7359410	8182360
10.	ओडिशा	0	1134125	1134125
11.	तमिलनाडु	1040090	16524659	17564749
12.	उत्तराखंड	0	2083470	2083470
13.	उत्तर प्रदेश	0	1441608	1441608
14.	पश्चिम बंगाल	222500	1930855	2153355
	कुल =	**24374465**	**56384048**	**80758513**
